

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-5/1211/E file-0107/2025/

दिनांक, ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6-MPR 027/2023-BHO दिनांक 19.02.2025

--0--

कृपया उपरोक्त ऑनलाईन आपत्ति का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र 0	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt. has informed that the patches in forest areas which were not included in the proposed diversion area are of the Railway ownership but no documentary evidences have been produced before the committees. The User Agency shall submit documentary evidence which proves that the said patches are under Railway ownership and have been in their possession since before 1989, when Indian Railway Act came into force.	आवेदक संस्थान द्वारा विवरण अपने पत्र दिनांक 21.03.2025 से प्रस्तुत किया गया है, जो वन मण्डल अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा दिनांक 11.04.2025 से टाइम लाईन के बिन्दु क्रमांक 115 पर अपलोड किया गया है।
2	The User Agency shall submit the extent of area proposed to the NBWL and status of Wildlife Clearance.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति के लिए ऑनलाईन आवेदन WL/MP/RAIL/468116/2024 से किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
3	The User Agency shall submit NoCs from NHAI for the places where it is crossing the railway alignment through RoBs.	आवेदक संस्थान द्वारा NHAI का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो वन मण्डल अधिकारी, नर्मदापुरम के प्रतिवेदन के साथ दिनांक 11.04.2025 से टाइम लाईन के बिन्दु क्रमांक 115 पर अपलोड किया गया है।

4 In the DSS analysis, it is observed that the coordinate 220 21' 19.83"N, 770 50' 49"E, subway has been recently constructed which is in the proposed diversion area hence the concerned DFO shall inspect and submit a detailed report in the matter.	भारत सरकार के निर्देशानुसार वन मण्डल अधिकारी उत्तर बैतूल द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.05.2025 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जो टाइम लाईन के बिन्दु क्रमांक 116 दिनांक 26.05.2025 से अपलोड किया गया है।
--	---

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है, कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 01-06-2025
10:01:28

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) नर्मदापुरम/ बैतूल वृत्त, मध्यप्रदेश।
 - 2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, नर्मदापुरम/ उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
 - 3- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।